न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या–837 सन्– 2026

UPAD010072542026

साहिल सरोज पुत्र कमलेश सरोज उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी– ग्राम व थाना लालगंज अझारा, जनपद प्रतापगढ़ व वर्तमान निवासी– नार्थ मलाका पोस्ट ऑफिस के पास, प्रयागराज।

––––––––––प्रार्थी

बनाम

1. विनय कुमार उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र रवि पाल, निवासी– कमाशिन, थाना बबेरू, जनपद बांदा।
2. अनुज सिंह उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र देवी प्रसाद सिंह, निवासी– मुगरहा, जनपद भदोही।
3. धर्मराज पटेल उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र रवि करन, निवासी– बाकरगंज पुराजो, जनपद कौशाम्बी।

वर्तमान निवासीगण– छोटा बघाड़ा, जनपद प्रयागराज।

––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–कोतवाली, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थी साहिल सरोज द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अनुसूचित जाति पासी का सदस्य है तथा एक्स–रे ट्रेनी डिप्लोमा का द्वितीय वर्ष का छात्र है व मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। विपक्षीगण ने दिनांक 12.06.2026 को समय लगभग 11.30 बजे उसे स्वरूपरानी अस्पताल में घेर लिया, उसके द्वारा कारण पूछने पर विपक्षीगण उसे मादरचोद पासी साले बड़के नेता बनते हो कहते हुए लात–घूसों से मारने लगे, वहां मौजूद लोगों के बीच–बचाव करने पर विपक्षीगण उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये व किसी ने उसके गले से चांदी की चैन भी खींच लिया। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी व थाना कोतवाली में सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को मिलकर एवं जरिये रजिस्ट्री दिनांक 15.06.2026 को प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, थानाध्यक्ष कोतवाली को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 15.06.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति पासी का सदस्य होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा दिनांक 12.06.2026 को समय लगभग 11.30 उसे स्वरूपरानी अस्पताल में घेरने, उसके द्वारा कारण पूछने पर मादरचोद पासी साले बड़के नेता बनते हो कहते हुए लात–घूसों से मारने तथा आस–पास मौजूद लोगों के बीच–बचाव करने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोप का अभिकथन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य*

2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 31.10.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 01, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.01 16:55:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court